राजस्व वाद संख्या 164 / 2019
GCMS NO. 2019/00901
तसवीर बनाम उमराई आदि
निर्णय दिनांक 08–03–2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी – जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 164 / 2019

तसवीर पत्नि बस्तीराम जाति अहीर निवासी सिवनी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

..................वादीया

बनाम

1. उमराई पत्नि प्रभू
2. औमप्रकाश
3. कृष्ण
4. लीलाधर
5. वेदपाल
6. सुमेर सिंह
   पुत्रान प्रभू समस्त जाति अहीर निवासीगण सिवनी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
7. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा सागा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
8. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा ढ़ाणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार भू–अभिलेख बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

..................प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री राजेश यादव एडवोकेट – वादीया
श्री अशोक कुमार यादव एडवोकेट – प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 6

दावा– खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक 08–03–2021

–: निर्णय :–

उपर्युक्त उनवानी वाद में इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 11–03–2020 को पारित कर तहसीलदार (भू0अ0) बुहाना को तहरीर जारी की गई कि वाके राजस्व ग्राम सिवनी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 हाल खाता संख्या 64 के हाल खसरा नम्बर 182 रकबा 2.01 हेक्टेयर भूमि में वादीया के हिस्से की भूमि का खाता अलग कायम कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06–11–2004 को मध्यनजर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.04.29 14:07:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं

उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में भिजवायें। तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना द्वारा न्यायालय निर्णय की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिए पत्रांकः भू.अ./वि.प्र./021/587 दिनांक 03–02–2021 द्वारा प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

तहसीलदार बुहाना द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीया को सुना गया। विद्वान योग्य अधिवक्ता वादीया ने तहसीलदार बुहाना द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03–02–2021 के मुताबिक वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अतः वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03–02–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से 2' व 'ब') के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03–02–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से 2' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से 2' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना मुताबिक प्रदर्श–'ब' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08–03–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.04.29 14:07:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद संख्या 164/2019
GCMS NO. 2019/00901
तसवीर बनाम उमराई आदि
निर्णय दिनांक 08–03–2021

(वाद में डिक्री)
डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.

तसवीर पत्नि बस्तीराम जाति अहीर निवासी सिवनी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

................वादीया

बनाम

1. उमराई पत्नि प्रभू
2. औमप्रकाश
3. कृष्ण
4. लीलाधर
5. वेदपाल
6. सुमेर सिंह
   पुत्रान प्रभू समस्त जाति अहीर निवासीगण सिवनी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
7. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा सागा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
8. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा सागा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार भू–अभिलेख बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.................प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

मुकदमा नम्बर :– 164/2019

निर्णय दिनांक :– 08–03–2021

वादीया की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 6 की ओर से **श्री अशोक कुमार यादव** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **08–03–2021** को **जीतू कुलहरी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.04.29 14:07:47 IST
Reason: SelfAttested

वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिन[illegible] 03[illegible]2–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से 2' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्र[illegible]03–2021 (प्रदर्श–'अ–1

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं

उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

से 2' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना मुताबिक प्रदर्श–'ब' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **08–03–2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जीतू कुल्हरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं

उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.04.29 14:07:47 IST
Reason: SelfAttested